न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 44 / 2019 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2019 / 00196

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री बाबूदान पुत्र हीरदान लापेया जाति चारण गढवाडा, तहसील रोहट जिला पाली		1. श्री मानदान पुत्र हीरदान लापेया जाति चारण निवासी गढवाड़ा, तहसील रोहट जिला पाली 2. ग्राम पंचायत गढवाडा जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :– प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना उपस्थित

अप्रार्थीगण अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह राजपुरोहित उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 18/1/21

प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 03 दिनाँक 5.08.2003 जो ग्राम पंचायत गढवाड़ा ने तथाकथित मिसल संख्या 06 / 2002–2003 में पारित किया तथा पट्टा संख्या 1746 दिनांक 08.10.2003 जारी किया है। उससे सम्बन्धित प्रस्ताव एवं पट्टा संख्या 1746 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस एवं ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा 30 फीट गुणा 45 फीट कुल 1350 फीट का जारी किया हुआ है जिस पर मकान निर्मित है जिसपर प्रार्थी का रहवासीय ढालिया बना हुआ है। प्रार्थी को जैर निगरानी आराजी से अप्रार्थी संख्या 1 विवादग्रस्त पट्टा के आधार पर प्रार्थी को बेदखल करना चाहता है। प्रार्थी के पूछताछ करने पर पाया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पूर्व के जारी पट्टा से ज्यादा भूमी का पट्टा बनाया है जिसमें पट्टासुदा भूमी को शामिल करते हुए गलत रूप से जारी करवा दिया तथा उसके आधार पर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा हैं। रहवासी परिसर प्रार्थी का पट्टासुदा एवं कब्जासुदा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विधीविरूद्ध तरीके से अनुसूचित जाति व जनजाति लघु व सीमान्त कृषक होने का कथन करते हुए आबादी भूमी में से निःशुल्क आवासीय आवंटन कराया जाकर पट्टा संख्या 1746 दिनाक 08.10.2003 बनवाया है जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा संख्या 1746 दिनांक 08.10.2003 बनवाया है जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने हेतु मिसल नहीं बनाई गई। अर्थात अप्रार्थी मानदान को पट्टा बिना मिसल कायम किए फर्जी तरीके से जारी किया है जो निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत पंचायती राज नियम 140 के तहत पात्र पंचायत की निंजी नूजूल आबादी भूमी पर ही पट्टा जारी कर सकती है। जबकि जैर निगरानी आराजी ग्राम पंचायत में निहित उसकी नूजूल आबादी भूमी नहीं होकर अप्रार्थी मानदान तथा बाबूदान की दिनाँक 15.11.1975 को जारी भूखण्ड आवंटन प्रपत्र संख्या 7888 एवं 7889 से आवंटित भूमी है। जो अप्रार्थी भी स्वीकार करता है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टा आराजी नियम 140 के तहत राज्य सरकार के किसी आदेश के तहत अप्रार्थी संख्या 2 में निहित नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जारी पट्टा निरस्त योग्य हैं। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में पट्टा जारी करने हेतु मिसल ही कायम नहीं की इससे प्रार्थी द्वारा नियम 145 के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना [illegible] नहीं किया गया। इसलिए भी पट्टा निरस्त योग्य है। जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम [illegible] सामान्य नियम 145 (1) से 145(3) तथा नियम 146 की भी पालना नहीं की न नक्शा बनाया न [illegible] न पत्रावली कायम की गई न रजिस्टर में मिसल का इन्द्राज किया गया तीन [illegible] पंचो द्वारा

क्रमश.....................2

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:44:54 IST
Reason: SelfAttested

मौका भी नही देखा गया तथा नियम 148 के तहत पट्टा स्थल का मौका निरीक्षण किया जाना भी सिद्ध नहीं होने से पट्टा निरस्तनीय है। प्रार्थी ने जैर निगरानी पट्टा संख्या 1746 दिनांक 08.10.2013 में ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में जारी पट्टा संख्या 7888 दिनांक 25.11.1975 मानदान एवं 7889 बाबूदना के हक में जारी पट्टो पर पट्टा बनाया है जिनकी प्रतियां पत्रावली संलग्न है दोनों में नाप 30 गुणा 45 अंकित है जिस बाबत लिए गए प्रस्ताव की प्रति भी संलग्न है जिसके क्रम संख्या 13 व 14 पर अप्रार्थी व प्रार्थीगण दोनों के नाम अंकत है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस किया कि जैर निगरानी पट्टा पंचायतराज नियम 167(1) के तहत जारी किया गया है तथा जैर निगरानी आराजी की निलामी राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 151 से 152 अनुसार की गई है तथा निलामी में 200/–रूपये अदा कर उक्त भूखण्ड क्रय करने पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। तथा प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 05.08.2003 पारित किया जाकर ग्राम पंचायत गढवाडा द्वारा जैर निगरानी पट्टा संख्या 1746 जारी किया गया जो विधीसम्मत होने से यथावत रखा जावे। प्रार्थी द्वारा उस समय पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया गया था मिसल संख्या 6 कायम की गई थी जो जैर निगरानी पट्टा पर अंकित है तथा उसकी दायरा दिनाँक 20.03.2003 भी जैर निगरानी पट्टे पर अंकित है पट्टा आपसी बातचीत द्वारा 200/– रूपये के बाजार दर पर बेची हुई है तथा राशि जरिए रसीद नं. 76 दिनांक 29.12.2003 के जरिये जमा करा कर पट्टा प्राप्त किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है इसलिए जैर निगरानी पट्टे को यथावत रखा जाने हेतु निवेदन किया है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली एवं पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया ग्राम पंचायत द्वारा मिसल एवं प्रस्ताव रजिस्टर नहीं होने बाबत लिखा है। इससें जैर निगरानी पट्टा सम्बन्धी रेकर्ड का संधारण ही नही किया जाना प्रतीत होता है ऐसी स्थिति में पंचायत राज नियमों की पालना की गई अथवा नहीं इस बाबत समीक्षा संभव नही है। जैर निगरानी पट्टा के निःशुल्क जारी नहीं किया जाना पट्टे के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में 2 बिन्दुओं का विचारण किया जाना है :–

1. क्या पट्टे पर पट्टा जारी किया गया है।
2. पट्टा नियमानुसार जारी हुआ है अथवा नहीं।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टा संख्या 7888 एवं 7889 की प्रमाणित प्रतियो से सम्बन्धित आराजी एवं जैर निगरानी पट्टा संख्या 1746 की आराजी के पड़ौस अलग–अलग है। इससे पट्टा संख्या 1746 की आराजी एवं दोनों पट्टा संख्या 7888 व 7889 की आराजी एक नहीं है। प्रार्थी का यह कथन कि उक्त पट्टा पूर्व में जारी पट्टों की जमीन पर जारी हुआ है इसे वह साबित करने में असफल रहा है।

जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायत राज सामान्य नियम 157 के तहत नियमितीकरण किया गया तो 5635 वर्गफुट भूमी का नियमितीकरण किया जाना विधिविरूद्ध है। क्योंकि उक्त नियमों के अनुसार मात्र 300 वर्गगज भूमी के नियमितीकरण का ही प्रावधान है। इससे जैर निगरानी पट्टा नियम विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। तथा अगर पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 150 से 152 के तहत किया गया है तो मिसल के अभाव में इसकी समीक्षा नहीं की जा सकती है फिर भी [illegible] पट्टा जारी किया गया है जो तत्समय की बाजार दर से राशि [illegible] नहीं दिया गया है पट्टा जारी करते समय वर्ष 2003 में उक्त आराजी की [illegible] 5635 वर्गफुट की मात्र 200/-- रूपये अर्थात 3.75 [illegible] हो यह वास्तविक बाजार दर नहीं है। अर्थात जैर निगरानी पट्टा आपसी बातचीत से कीमत तय कर भी जारी नहीं किया गया है इस प्रकार जैर निगरानी पट्टा विधीसम्मत जारी नहीं किए जाने से प्रस्ताव व पट्टा यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:44:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश....................3

परिणामस्वरूप उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत गढ़वाड़ा तहसील रोहट द्वारा पारित जैर निगरानी संकल्प संख्या 03 दिनांक 05.08.2003 एवं उसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 1746 दिनाँक 08.10.2003 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनाँक 18/1/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

Ansh

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:44:54 IST
Reason: SelfAttested